भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3971**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

आरओडीटीईपी योजना

3971. **श्री बसवराज बोम्मई:**

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के कार्यान्वयन के बाद से इसके अंतर्गत प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान आरओडीटीईपी के अंतर्गत संवितरित की गई छूट की कुल राशि का क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान आरओडीटीईपी योजना से लाभन्वित होने वाले निर्यातकों की संख्या कितनी है;

(घ) भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लागू दरों के साथ अधिसूचित प्रमुख उत्पाद श्रेणियां कौन सी हैं; और

(ङ) योजना के डिजिटल कार्यान्वयन के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उत्पाद कवरेज के विस्तार या अधिसूचित दरों के संशोधन के लिए प्रस्ताव यदि कोई हो तो, का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ङ) निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम दिनांक 1 जनवरी, 2021 से लागू है, जो उन लागू करों और शुल्कों का रिफंड करती है, जिन पर अन्य किसी भी तंत्र के तहत छूट नहीं है। यह स्कीम डब्ल्यूटीओ अनुपालन पद्धति में ऐसे करों को निष्प्रभावी करते हुए वैश्विक बाज़ारों में भारतीय निर्यातकों का प्रतिस्पर्धी बने रहना सुनिश्चित करती है।

इसके कार्यान्वयन के बाद से, इस स्कीम के तहत भारत के व्यापारिक वस्तु निर्यात के महत्वपूर्ण भाग में सहायता प्रदान की गई है और सभी क्षेत्रों में निर्यातकों की बड़ी संख्या को लाभान्वित किया गया है। श्रम गहन-क्षेत्रों जैसे वस्त्र और परिधान, समुद्री उत्पाद, कृषि उत्पाद, रसायन और

इंजीनियरिंग वस्तुएं मुख्य लाभार्थियों में से हैं। ये क्षेत्र आरओडीटीईपी सहायता का एक बड़ा भाग है और ये रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

वर्ष 2021-2022 से 2025-26 के दौरान आरओडीटीईपी के तहत क्षेत्र-वार और वर्ष वार प्रदान की गई छूट की कुल राशि निम्नानुसार हैं:

आरओडीटीईपी राशि (करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष/क्षेत्र	**वस्त्र और परिधान**	**सब्ज़ियाँ**	**मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स**	**रसायन**	**मछली और समुद्री उत्पाद**	**अन्य**	**कुल**
वित्त वर्ष 2021-22	3,531.58	2,409.63	1,925.43	617.64	1,320.11	4,994.03	14,798.42
वित्त वर्ष 2022-23	1,964.93	2,307.26	1,871.67	965.84	1,258.43	4,629.08	12,997.21
वित्त वर्ष 2023-24	2,567.30	2,184.20	2,056.82	1,973.55	1,514.72	5,110.04	15,406.62
वित्त वर्ष 2024-25	2,695.41	2,528.32	2,467.87	2,860.42	1,571.93	6,610.61	18,734.56
2025-26 दिसंबर 2025 तक	2,058.89	2,069.50	2,056.61	2,272.93	1,462.09	5,836.94	15,756.96

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान आरओडीटीईपी के तहत लाभान्वित निर्यातकों की संख्या निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**निर्यातकों की कुल संख्या**
01.01.2021 से 31.03.2021	71533
2021-22	106419
2022-23	103193
2023-24	107811
2024-25	110195
2025-26	111324

वर्तमान में यह स्कीम 11,000 से अधिक प्रशुल्क लाइनों को कवर करती है जिनमें वस्त्र और परिधान, कृषि और खाद्य उत्पाद, रसायन, इंजीनियरिंग वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स और समुद्री उत्पाद शामिल हैं। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों के लिए किए गए अध्ययनों के आधार पर क्षेत्र-विशिष्ट

छूट दरें अधिसूचित की गई है। इस स्कीम के तहत छूट की लागू दरें https:/www.dgft.gov.in/CP/?opt=RoDTEP पर उपलब्ध है।

आरओडीटीईपी को सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली के साथ एकीकृत पूर्णत: डिजिटल प्रणाली के माध्मय से कार्यान्वित किया जाता है, जिसके तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न होते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर में दर्ज किए जाते हैं। इससे पारदर्शिता में सुधार, प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आई है और सीमा शुल्क के भुगतान के लिए ऋण के निर्बाध उपयोग को सक्षम बनाया गया है।

सरकार समय-समय पर इस स्कीम की समीक्षा करती है जिसमें उत्पाद कवरेज और लागू दरें शामिल हैं जो क्षेत्रीय अभ्यावेदनों, डाटा विश्लेषण और आरओडीटीईपी समिति की सिफारिशों पर आधारित होती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्कीम द्वारा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सहायता करना जारी रहे।

*****